"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 99-अ]   रायपुर, मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी 2014— फाल्गुन 6, शक 1935

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी, 2014 (फाल्गुन 6, 1935)

क्रमांक-3581/वि. स./विधान/2014. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 8 सन् 2014) जो मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी, 2014 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 8 सन् 2014)

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2014

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहलाएगा.

(2) यह 1 अप्रैल, 2014 से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (चच) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(चचच) "बाजार मूल्य" से अभिप्रेत है, ऐसा मूल्य, जिस पर माल का विक्रय सामान्यत: बाजार में होता है या जहां माल का विक्रय सामान्यत: बाजार में नहीं होता है या उसका सही विक्रय मूल्य निर्धारित नहीं होता है तो, ऐसा मूल्य, जो कि शासन द्वारा अधिसूचित किया जाये."

धारा 3 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(दो) ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग, जिन पर उप-धारा (1) के प्रावधान लागू नहीं होता है, से ऐसा कर उद्ग्रहित किया जायेगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये तथा तदुपरांत इस प्रकार अधिसूचित कर, ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग द्वारा भुगतान किया जायेगा."

उद्देश्य और कारणों का कथन

वर्ष 2014-15 के लिये बजट भाषण में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये प्रस्तावों का क्रियान्वयन करने हेतु, छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
दिनांक 20-2-2014

अमर अग्रवाल
वाणिज्यिक कर मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

उपाबंध

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 2 (1) का खण्ड (चच) तथा 3 (2) (दो) का सुसंगत उद्धरण

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 2 (1) का खण्ड (चच)

"संवेष्ठन सामग्री" - से अभिप्रेत है कि विक्रय कर अधिनियम की अनुसूची 2 के भाग 4 के अनुक्रमांक 15 में विनिर्दिष्ट किया गया या उसे प्रविष्टि के अधीन अधिसूचित किया वह माल जिसका उपभोग या उपयोग अन्य माल का संवेठन करने में किया जाता हो या अन्य माल के आधानों (कन्टेनर्स) के रूप में किया जाता हो.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 3 (2) (दो)

(दो) ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग द्वारा प्रत्येक दशा में जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, ऐसा कर उद्ग्रहित किया जाएगा और तदुपरि ऐसा कर ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग द्वारा चुकाया जाएगा.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़, विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.